कार्यालय, निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांकः /स्था0शा0/कोर्ट केस/ दिनांक : 02.12. , 2021

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन **रिट याचिका संख्या–सी0–1149/2021 कुँवर राज सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य (जिला–अलीगढ़)** में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ***मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालयों (State Law Offices) में याचिकाओं से सम्बन्धित सरकारी कार्यालयों से समय से याचिकाओं में 'अनुदेश एवं अभिलेख' (instructions and documents) प्राप्त किये जाने हेतु technonogy based system राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने के प्रकरण में*** की जा रही सुनवाई के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **पारित आदेश दिनांक 17.03.2021** के क्रम में श्री एम0सी0 चतुर्वेदी, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–654/पी0एस0/ए0ए0जी0/इला0 दिनांक 20.03.2021 द्वारा दिये गये सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही पर प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– रिट–30/सात–न्याय–1/2021–01(डब्लू)/2021 दिनांक 20.03.2021 द्वारा अपर महाधिवक्ता के उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उक्त के अनुपालन में विभागों द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में विभागीय मुकदमों की पैरवी हेतु **नोडल अधिकारी नामित/नियुक्त किये जाने एवं नोडल अधिकारी के माध्यम से संबंधित रिट याचिकाओं में सूचना एवं अभिलेखों का आदान प्रदान तथा रिट याचिकाओं में अपेक्षित अनुदेश (instructions) समय से उपलब्ध संबंधित मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के संदर्भ में अपर महाधिवक्ता के उक्त पत्र दिनांक 20.03.2021 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार व्यवस्था** निम्नवत सुनिश्चित की जाती हैः–

नोडल अधिकारी का कार्यक्षेत्र/स्तर	नमित नोडल अधिकारी का पदनाम एवं पदस्थ अधिकारी का नाम	नोडल अधिकारी के कार्यक्षेत्र	दूरभाष नम्बर व ई–मेल आईडी
मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली	उप निदेशक मत्स्य मेरठ मण्डल मेरठ, श्री अनिल कुमार	मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विभागीय वादों की पैरवी में समन्वय एवं सहयोग	कार्यालय–0121– 2630160 मो0 नं0– 9450915251 ई–मेल आईडी – ddfmeerut@gmail.com
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	उप निदेशक मत्स्य, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज श्री मुकेश कुमार सारंग (अतिरिक्त प्रभार)	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मे योजित अथवा योजित होने वाली विभाग से संबंधित याचिकाओं के संदर्भ में मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद कार्यालय से याचिकाओं की प्रतियां/नोटिस/अन्य पत्रों आदि को प्रतिदिन प्राप्त कर संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाना एवं संबधित कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अनुदेश (instructions) एवं अभिलेखों को समय से मुख्य स्थायी अधिवक्ता /अपर महाधिवक्ता को प्रस्तुत कराया जाना	कार्यालय– 0532–2242487 मो0 नं0– 9839048201 ई–मेल आईडी– ddfish.ah-up@gov.in
मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ एवं मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ	उप निदेशक मत्स्य, (मुख्यालय), डा0 हरेन्द्र प्रसाद	मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ मे योजित अथवा योजित होने वाली विभाग से संबंधित याचिकाओं के संदर्भ में मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ कार्यालय से याचिकाओं की प्रतियां /नोटिस/अन्य पत्रों आदि को प्रतिदिन प्राप्त कर संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाना एवं संबधित कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अनुदेश (instructions) एवं अभिलेखों को समय से मुख्य स्थायी अधिवक्ता /अपर महाधिवक्ता को प्रस्तुत कराया जाना	कार्यालय– 0522–2740480 निदेशक मत्स्य कैम्प– 0522–2740067 मो0 नं0– 8887909047 ई–मेल आईडी – fisheries.mpr@gmail.com

3– उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रकरण में अपरमहाधिवक्ता के पत्र दिनांक 20.03.2021 में की गयी अपेक्षानुसार **मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ** हेतु नामित उपरोक्त नोडल अधिकारी को आवंटित कार्य निम्नवत् हैं, **जिस हेतु वे पूर्ण जिम्मेदार/जवाबदेह होंगे** :–

क्रमशः – 2/–

(i) नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन विभाग के विरुद्ध दाखिल होने वाली रिट याचिकाओं, *जिनकी नोटिस मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ के मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय एवं महाधिवक्ता कार्यालय को दी जाती है, की प्रति प्राप्त करेंगे एवं सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय विभागीय कार्यालयों को अग्रसारित करेंगे।*

(ii) रिट याचिकाओं की नोटिसें प्राप्त कर लेने के उपरान्त, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कार्यालयों द्वारा विभाग के विरुद्ध दाखिल होने वाली रिट याचिकाओं के सापेक्ष **प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदेश (instructions) एवं आवश्यक अभिलेख** नोडल अधिकारी के माध्यम से अपरमहाधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराये जायेगें, *नोडल अधिकारी सम्बन्धित अनुदेश (instructions) को एकत्रित/प्राप्त करते हुये उसे समयान्तर्गत मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय एवं महाधिवक्ता कार्यालय में प्रस्तुत करायेंगे।*

4– उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों द्वारा रिट याचिकाओं की नोटिसें प्राप्त कर लेने के उपरान्त, सम्बन्धित रिट याचिकाओं के सापेक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदेश (instructions) एवं आवश्यक अभिलेख *समयान्तर्गत सम्बन्धित मा0 न्यायालय के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारी पूर्ण जवाबदेह/जिम्मेदार होगें।* उक्त के उपरान्त **सम्बन्धित विभागीय अधिकारी** उन रिट याचिकाओं में उनके *अन्तिम रुप से निस्तारित होने तक समय–समय पर पारित होने वाले आदेशों पर उनके क्रम में अपेक्षित कार्यवाही हेतु नजर रखने हेतु जवाबदेह/जिम्मेदार होंगे।*

उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त निर्देशों का समयबद्ध कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने के साथ मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ तथा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ हेतु नामित उपरोक्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है **कि भविष्य में सम्पर्क/संचार में विलम्ब से बचने हेतु अपना पूरा नाम और मोबाइल नम्बर ई–मेल आई0डी0 सहित** सम्बन्धित एडवोकेट ऑन रिकार्ड, महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराते हुये उपरोक्त व्यस्थानुसार निर्धारित कार्य का कड़ाई से नियमित कियान्वयन सुनिश्चित करें।

ह0/–
(डा0 सरोज कुमार)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः 4235 /स्था0शा0/कोर्ट केस/ उक्त दिनांक

प्रतिलिपि – प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन सचिवालय लखनऊ को न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र संख्या–रिट–30/सात–न्याय–1/2021–01(डब्लू)/2021 दिनांक 20.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–रिट–30/सात–न्याय–1/2021– 01(डब्लू)/2021 दिनांक 20.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– रजिस्ट्रार, मा0 उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली।
4– मा0 महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
5– मा0 महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ।
6– श्री कुलदीप पति त्रिपाठी, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ।
7– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
8– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ।
9– वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा0 उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
10–समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11–समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
12–मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

01/12/21

(डा0 हरेन्द्र प्रसाद)
उप निदेशक मत्स्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0,
8 लखनऊ।

कोर्ट केस

कार्यालय, निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक: /स्था0शा0/कोर्ट केस/ दिनांक : 02.12., 2021

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–सी0–1149/2021 कुँवर राज सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य (जिला–अलीगढ़) में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा *मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालयों (State Law Offices) में याचिकाओं से सम्बन्धित सरकारी कार्यालयों से समय से याचिकाओं में अनुदेश एवं अभिलेख' (instructions and documents) प्राप्त किये जाने हेतु technonogy based system राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने के प्रकरण में* की जा रही सुनवाई के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **पारित आदेश दिनांक 17.03.2021** के कम में श्री एम0सी0 चतुर्वेदी, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–654/पी0एस0/ए0ए0जी0/इला0 दिनांक 20.03.2021 द्वारा दिये गये सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही पर प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– रिट–30/सात–न्याय–1/2021–01(डब्लू)/2021 दिनांक 20.03.2021 द्वारा अपर महाधिवक्ता के उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उक्त के अनुपालन में **अपर महाधिवक्ता के उक्त पत्र दिनांक 20.03.2021 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार** मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में विभागीय मुकदमों की पैरवी हेतु *नोडल अधिकारी नामित/नियुक्त किये जाने एवं नोडल अधिकारी के माध्यम से संबंधित रिट याचिकाओं में सूचना एवं अभिलेखों का आदान प्रदान तथा रिट याचिकाओं में अपेक्षित अनुदेश (instructions) समय से उपलब्ध संबंधित मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के संदर्भ में* आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यालय आदेश सम्बन्धित नोडल अधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश के साथ निर्गत किया गया है।

3– उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित रिट याचिकाओं में *नोडल अधिकारी के माध्यम से समयान्तर्गत* अनुदेश (instructions) *उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारी* उन रिट याचिकाओं में उनके *अन्तिम रुप से निस्तारित होने तक समय–समय पर पारित होने वाले आदेशों पर उनके कम में अपेक्षित कार्यवाही हेतु नजर रखने हेतु जवाबदेह/जिम्मेदार होंगे।* उक्त के अन्तर्गत **निदेशालय (विभागाध्यक्ष कार्यालय) स्तर पर उक्त कार्य हेतु** निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है :–

नामित अधिकारी	कार्यक्षेत्र
सहायक निदेशक मत्स्य (मुख्यालय/प्रभारी अधिकारी स्थापना)	समस्त सेवा सम्बन्धी (अधिष्ठान से सम्बन्धित) विभागीय वाद
सहायक निदेशक मत्स्य (प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा)	समस्त सामान्य शाखा से सम्बन्धित एवं अन्य विविध विभागीय वाद जो अधिष्ठान से इतर होंगे
उप निदेशक मत्स्य, सहकारिता	समस्त सहकारिता से सम्बन्धित विभागीय वाद

उक्त नामित अधिकारी निदेशालय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित *रिट याचिकाओं में उक्त कार्य हेतु तथा सम्बन्धित वादों सम्बन्धी कार्यो के अनुश्रवण, कार्यो के निस्तारण हेतु आवश्यक समन्वय एवं पारित आदेशों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार/जवाबदेह होंगे।*

ह0/–
(डा0 सरोज कुमार)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक: 4236 /स्था0शा0/कोर्ट केस/ उक्त दिनांक

प्रतिलिपि – प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन सचिवालय लखनऊ को न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 20.03.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 20.03.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

3–समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4–समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

5–मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

(डा0 हरेन्द्र प्रसाद)
उप निदेशक मत्स्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।